न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 120/2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

1 तहसीलदार बाडमेर। 1 मुकनाराम वगैराह।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 30/07/21

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उतरलाई के खसरा संख्या 197/4 के सम्बन्ध में तरमीम शुद्धि प्रकरण संख्या 45/2003 अनवान चीमाराम बनाम तहसीलदार बाडमेर में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 द्वारा ग्राम उतरलाई के खसरा संख्या 197/4 की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भूअ/4618 दिनांक 03.09.2010 के संलग्न प्रस्ताव अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में दर्ज अपील संख्या 313/2017 अनवान भैरूसिंह बनाम चिमनाराम व अन्य दिनांक 24.09.2018 को खारिज की गई। उक्त अपील खारिज होने से इस न्यायालय का निर्णय प्रभावी हो गया तथा निर्णय की पालना के दौरान आई कठिनाइयों के सम्बन्ध में निम्नबिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा :–

1. खसरा संख्या 197/4 रकबा 43.07 बीघा वर्तमान में कब्जा अनुसार 02 भागों में विभक्त है। मौके पर बान्दरा उतरलाई रोड के पश्चिम में 11.06 बीघा भूमि कब्जे में है, लेकिन लठ्ठा ट्रेस में उक्त भूखण्ड का खसरा संख्या 181/4 अंकित है, जो रक्षा विभाग भारत सरकार के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 181/4 जो कि रक्षा विभाग की सड़क बनी हुई है, उसका खसरा संख्या 181/4 है। वर्तमान में लठ्ठा में उक्त भूखण्ड में गलत नम्बर अंकित है।
2. वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस में रक्षा विभाग की सड़क के वास्तविक खसरा संख्या 181/4 के स्थान पर 184/4 अंकित है, जो गलत है। वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस में 185/4 खसरा नम्बर में ही 184/4 होना चाहिए जो अपने निर्धारित स्थान पर नही लिखा जाकर रक्षा विभाग की सड़क के भूखण्ड में 181/4 के स्थान पर 184/4 अंकित है, जो गलत है।
3. खसरा संख्या 197/4 के एक भूखण्ड जिसका रकबा 11.06 बीघा अंकित है, जरिये नवीन नामान्तकरण दर्ज कर किया जा सकता है तथा उक्त नवीन खसरा नम्बर पड़ने से 182/4 की वर्तमान तरमीम भी रकबे के अनुसार दुरूस्त करने पड़ेगी।
4. बान्दरा से उतरलाई रोड की तरमीम भी प्रार्थी की तरमीम दुरूस्ती होने से सड़क की तरमीम भी दुरूस्त करनी पड़ेगी।
5. वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस में दर्ज खसरा संख्या 181/4जो वर्तमान दर्ज खसरा संख्या 184/4 के स्थान पर लिखा जाकर वर्तमान में दर्ज खसरा संख्या 184 को अपने

निर्धारित स्थान खसरा संख्या 185/4 में पूर्व में दर्शाई गई तरमीम के अनुरूप दर्ज किया जाना है। खसरा संख्या 197/4 की तरमीम दुरूस्त करने पर खसरा संख्या 188/4 व 183/4 की सीमा भी प्रभावित हो रही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर हितबद्ध पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा तरमीम दुरूस्ती पर कोई आपति प्रकट नही की तथा उक्त तरमीम दुरूस्ती पर अपनी सहमति प्रकट की। रक्षा विभाग द्वारा नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया।

तहसीलदार बाडमेर से खसरा संख्या 197/4 व 198/4 की लठ्ठा ट्रेस में तरतीम हेतु एक टीम का गठन कर नया नक्श तैयार करने, जिसमे नवीन खसरा संख्या प्रस्तावित किये जावे के सम्बन्ध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्नप्रकार प्रस्तुत किया :–

1. मौजा उतरलाई के खसरा संख्या 197/4 व 198/4 की तरमीम दुरूस्ती से सम्बन्धित रेकर्ड जमाबन्दी एवं लठ्ठा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बरान का मिलान करने पर पाया गया कि जमाबन्दी में अंकित खसरा संख्या 184/4 रकबा 03.00 बीघा की तरमीम तथा खसरा संख्या का अंकन मौजा उतरलाई में लठ्ठा ट्रेस में नही किया गया है। उक्त भूमि जमाबन्दी में रक्षा विभाग भारत सरकार के नाम दर्ज है।
2. मौजा ढूंढा के स्वीकृत सुद्धा नामान्तकरण संख्या 308 दिनांक 03.11.1980 द्वारा खसरा संख्या 416/1/1 रकबा 03.00 बीघा का अमल दरामद रक्षा विभाग भारत सरकार के नाम किया गया है तथा 01.09.05 के आदेश द्वारा खसरा संख्या की शुद्धि किए जाने पर खसरा नम्बर 416/1/1 का नवीन खसरा संख्या 184/4 अमल दरामद किया गया। नामान्तकरण की प्रस्तुत तरमीम नजरी नक्शा अंकित है।
3. मौजा ढूंढा का पुराना नक्शा लठ्ठा ट्रेस का अवलोकन किया गया खसरा संख्या 4 के उस स्थान पर जहां खसरा संख्या 184/4 की तरमीम का अंकन था, नक्शा पूर्ण तथा फट्टा हुआ एवं जीर्ण शीर्ण होने से तरमीम व खसरा संख्या 184/4 नही दिखने से मौजा उतरलाई के नक्शा लठ्ठा ट्रेस में सहवन से अंकित से शेष रह गया है।
4. खसरा संख्या 184/4 का अंकन नक्शा लठ्ठा ट्रेस में नही होने से खसरा संख्या 181/4 व 184/4 का गलत जगह अंकन सहवन से किया गया। खसरा संख्या 184/4 का यथा स्थान अंकन करते हुए खसरा संख्या 181/4 का यथा स्थान अंकन कर देने से खसरा संख्या 197/4 अवशेष भू–भाग खाली रहा जाता है।
5. खसरा संख्या 197/4 व 198/4 की, की गई तरमीम मौके पर कब्जा अनुसार करने से एक नया खसरा संख्या 364/4 रकबा 11.06 बीघा आंवटित किया जाना अपेक्षित है। खसरा संख्या 197/4 का रकबा 32.01 बीघा संशोधित किया जाना अपेक्षित होगा। तरमीम शुद्धि तथा खसरा शुद्धि का अंकन नक्शा ट्रेस के अन्दर बरंग हरा से किया जाकर अंकन किया गया है। मौजा उतरलाई के नक्शा लठ्ठा ट्रेस में

खसरा संख्या 184/4 का सही स्थान पर अंकन कर, 184/4 के स्थ्ज्ञान पर खसरा संख्या 181/4 अंकित करने से खसरा नम्बर 181/4 का स्थान नक्शे में खाली रहने से उस स्थान पर नवीन खसरा संख्या 364/4 आंवटित किया जाने से मौका नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी के खसरा नम्बरों का सही मिलान होगा।

खसरा संख्या 197/4 रकबा 43.07 व खसरा संख्या 198/4 रकबा 04.13 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्ती बरंग हरा से नक्शा ट्रेस "परिशिष्ठ–II" में करने पर जमाबन्दी में अंकन निम्नप्रकार किया जाना है :–

खसरा संख्या	रकबा	
197/4	32.01	(खसरा नया आवंटित होने से रकबा अलग–अलग दर्ज करना होगा)
364/4	11.06	
2	43.07	
198/4	04.13	
3	48.00	

उक्तानुसार मौजा उतरलाई के खसरा संख्या 184/4 की तरमीम एवं नक्शे में खसरा नम्बर का अंकन तथा खसरा संख्या 181/4 को 184/4 की जगह अंकित करते हुए खसरा संख्या 364/4 रकबा 11.06 बीघा भूमि के लिए नवीन खसरा संख्या एवं रकबा का अंकन कि लिए आदेश प्रदान किया जाना है। जमाबन्दी में खसरा संख्या 197/4 को शुद्ध करते हुए नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम हेतु आदेशित किया जाना अपेक्षित है।

उक्तानुसार संशोधन करने से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की भूमि के खसरा नम्बर रेकर्ड (खतौनी) में अंकित है, में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा।

तहसीलदार बाडमेर को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर का कथन है कि जांच दल द्वारा जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमे अंकित हरे रंग अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो इससे राजस्व अभिलेख सही होगा तथा राज्य सरकार अथवार केन्द्र सरकार की भूमि के खतौनी में अंकित खसरा नम्बर में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 184/4 की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम एवं खसरा संख्या बरंग हरा में प्रस्तावित स्थान पर अंकित करने, खसरा संख्या 184 के स्थान पर 181 एवं खसरा संख्या 181/4 के स्थान पर नया खसरा संख्या 364/4 आंविटत करने तथा खसरा संख्या 197/4 का रकबा 32.01 तथा नव आंवटित खसरा संख्या 364/4 का रकबा 11.06 बीघा संलग्न नक्शा के "परिशिष्ठ–II" में दर्शाये हरे रंग के अनुसार, नक्शा एवं जमाबन्दी में शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका व नक्शा "परिशिष्ठ–II" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 30/07/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर